सं0– 636 /उन्तीस(2)/06–2(02पे0)/2001

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

2– मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च , 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनेत्तर मद में उत्तराखण्ड पेयजल एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान के विद्युत देयको अवशेष के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्र संख्या 6886/वि0अनु0/विद्युत देयक/2007–08 दिनांक 28.03.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2027/उन्तीस(2)/06 2 (02पे0)/2001, दिनांक 27.11.07 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान की पेयजल उत्पादन से सम्बन्धित विद्युत देयको के उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन के भुगतान के लिए रू0 650.00 लाख (रू0 छः करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के निर्वतन पर तथा रू0 267.43 लाख (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के निर्वतन पर अर्थात कुल रू0 917.43लाख (रू0 नौ करोड़ सत्रह लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उपरोक्त रू0 917.43 लाख की धनराशि में से रू0 650.00 लाख की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त एवं रू0 267.43 लाख की धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर युक्त तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी आहरण से सम्बन्धित बिल वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि को तत्काल उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्युत देयको का मिलान एवं संयुक्त हस्ताक्षर दिनांक 31.03.2008 तक करा लिया जाय। तत्पश्चात शासन को भी मिलान एवं संयुक्त सहमति की सूचना तत्काल भेज दी जाय। यदि कोई धनराशि अधिक भुगतान हो तब उसका समायोजन ठीक अगले माह के देयको से माह दर माह के आधार पर समायोजित किया जाय।

क्रमशः .2.

4. आहलूवालिया सहमति की संस्तुतियों के कम में किये गये त्रिपक्षीय अनुबन्ध के आधार पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के पुराने विद्युत देयको के सापेक्ष जारी किये गये बाण्ड के विरूद्ध अब तक प्राप्त प्रोत्साहन की धनराशि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन द्वारा तत्काल राहतकोष में जमा की जायेगी।

6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान सं0-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनेत्तर-101- शहरी जलापूर्ति कार्यकम-05-नगरीय पेयजल-04-अवशेष विद्युत देयको का उत्तराखण्ड विद्युत निगम-भुगतान-20-सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-422/XXVII(2)/2008 दिनांक 31 मार्च 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 (-)/ उन्तीस(2)/08-2(02 पे0)/2001तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून एवं समस्त जनपद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया शासनादेश मे उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एंव रिकन्साईल्ड बिलों का भुगतान भी अविलम्ब दिनाक 31.03.08 तक प्राप्त करने का कष्ट करे।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव